न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव
(आर.ए.एस.)

दिनांकः– 13/01/25

न.मु.– 93 /20

1. हेमाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)

..............वादी

बनाम

1. पनाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
2. बालूराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा ईंयारा तहसील बीदासर (चूरू) जरिये शाखा प्रबंधक
4. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कातर बडी तहसील बीदासर (चूरू) जरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर (चूरू)
6. उप पंजीयक बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति कर हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर।

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री रधुवीर भाम्भू प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से...
3. विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द चौधारीप्रतिवादी संख्या 2 की ओर से...
4. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 3 वा 4
5. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 5 वा 6

– : निर्णय :–

दिनांकः– 13/01/25

प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह कि खेत खसरा नं. 13 तादादी 0.7841 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 131 तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 22 तादादी 8.5489

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 274 तादादी 2.8328 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 39 तादादी 4.9700 हैक्टेयर व खेत खसरा नं. 45 तादादी 1.0876 हैक्टेयर कुल तादादी 21.8023 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है।

खेत खसरा संयुक्त खोतदारी का है जिसमें खेत खसरा संख्या 13,131,22,274,39 व 45 में हेमाराम पुत्र गंगाराम 1/3 हिस्सा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा ईंयारा तहसील बीदासर ,पनाराम पुत्र गंगाराम 1/3 हिस्सा बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कातर बडी तहसील बीदासर, बालूराम पुत्र गंगाराम 1/3 हिस्सा राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा ईंयारा तहसील बीदासर खातेदारी वर्तमान में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरे का अभी तक विधीवत रुप से विभाजन नही हुआ है उपरोक्त खसरा में वादी व प्रतिवादीगण अपनी आपसी सहमती से मौखीक रुप से कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खेतों का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नही हुआ है। उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी कानूनी अधिकार रखता है। प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है ओर उपरोक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी खेत का हस्तान्तरण करना चाहते है। जब प्रतिवादीगणों को विभाजन हेतु कहा गया तो उन्होने विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानियां धमकिया दी कि बिना विभाजन ही अवैध निर्माण, रहन, विक्रय आदि करने पर आमदा है। जबकि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। वादगत भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादी सं. 01 ता 2 के मन में लालच आ गया है और वे संयुक्त अविभाजित वादगत भूमि को बिना विधिवत विभाजन के विक्रय व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण रहन/बन्धक, कुआ खुदवाने निर्माण कार्य करवाने, बैको से ऋण आदि आदि करने पर आमदा है व वादी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में वादी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। प्रतिवादीगण 01 ता 2 वादी को एलानिया धमकिया दे रहा है कि वादगत भूमि को विक्रय का सौदा तय कर लिया है। व आपको बेदखल करके रहेगे व सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देगें इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय निर्माण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदि आदि ना करे ना ही वादी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। बटवारे के मुताबिक खेत खसरा न. 39 में वादी का उतरी तरफ करीबन 12 बीघा हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसमें वादी ने तारबन्दी कर रखी है तथा पक्का मकान भी बना रखा है तथा वादी द्वारा ट्यूबेल भी बना रखा है खेत खसरा न. 131 वादी का उतरी पश्चिमी में 1/3 हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है चारों तरफ पुख्ता सीव बनी हुई है तथा पक्का मकान भी बना रखा है खेत खसरा न. 22 बीच का हिस्सा करीबन 12.05 बीघा हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसमें वादी ने तारबन्दी कर रखी है तथा वादी द्वारा ट्यूबेल भी बना रखा है बटवारे के मुताबिक खेत खसरा न. 39 की दक्षिणी तरफ का शेष हिस्सा तथा खेत खसरा न. 45 सम्पूर्ण हिंस्सा पर प्रतिवादी सं. 1 पनाराम का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है तथा खेत खसरा न. 274 पर प्रतिवादी सं. 2 बालूराम का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसमें इसने तारबन्दी करवा रखी है इसी प्रकार खेत खसरा न. 131 में उतरी पूर्वी पनाराम का तथा दक्षिणी पूर्वी हिस्सा बालूराम का है जिसका वो उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसी प्रकार खेत खसरा न. 22 पूर्वी हिस्सा पनाराम का चला आ रहा है तथा बीच का वादी का तथा शेष पश्चिमी हिस्सा बालूराम का तथा खेत खसरा न. 13 पर प्रतिवादी सं. 2 बालूराम का कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है । वादी अपने बटवारे के मुताबिक आये हक हिस्सा भूमि खेतों का विभाजन कराने का कानूनी अधिकारी है । नजरी नक्शा संलग्न वादपत्र है। प्रतिवादीगण 01 ता 2 ने दिनांक 15.08.2020 को ऐलानिया धमकियां दी की वादगत भूमि विक्रय, हस्तान्तरण कर देगें व बिना विभाजन के ही निर्माण करवा लेगें वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि संयुक्त अविभाजित खेत का विभाजन करावा लेवें तो टालमटोल करते रहे दिनांक 20.08.2020 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद हैतुक है। व विधिवत रूप से विभाजन करवाने का वादी को कानूनी अधिकार है। वादी का अलग हिस्सा कायम करवाना चाहता है वादी को वादाधार प्राप्त है।आदि आदि

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 5 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 3 व 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को आदेश अमल में लाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट रधुवीर भाम्भू ने वकालत नामा पेश किया, व जवाब दावा पेश किया, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एडवोकेट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, (चूरू)

अरविन्द चौधारी ने वकालत नामा पेश किया व इकबाल जबाव दावा प्रतिवादी सख्या 2 की ओर से पेश किया ।

पत्रावली वास्ते तनकी व साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादी हेमाराम के बयान जरिये शपथ पत्र लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी पी 1 ,नजरी नक्शा जो वादी ने विभाजन के समर्थ मे प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी विभजान करवाना चाहता है प्रदर्स पी. 2 जमाबन्दी प्रदर्शित करवाये। प्रदर्स पी. 3 नक्शा एक्स तथा प्रदर्स पी. 4 गिरदावरी प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादी को साक्स हेतु 21–22 अवसर देने के बाद साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। पत्रावली बहस हेतु कायम की गई।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी का वाद डिक्री पी 1 ,नजरी नक्शा जो वादी ने विभाजन के समर्थ मे प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी विभजान करवाना चाहता है तथा प्रतिवादी सं.2 जरिये **इकबाल जबाव मय अतिरिक्त कथन के आधार पर** दावा वादी का डिक्री किया जावे तथा घोषित किया जाये खेत खसरा नं. 13 तादादी 0.7841 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 131 तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 22 तादादी 8.5489 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 274 तादादी 2.8328 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 39 तादादी 4.9700 हैक्टेयर व खेत खसरा नं. 45 तादादी 1.0876 हैक्टेयर कुल तादादी 21.8023 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी की भूमि का विभाजन किया जाकर दावे की मद संख्या 7 में वर्णितानुसार संलग्न नजरी नक्शा के मुताबिक अलग खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी दर्ज करवायी जाये । प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 13 तादादी 0.7841 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 131 तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 22 तादादी 8.5489 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 274 तादादी 2.8328 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 39 तादादी 4.9700 हैक्टेयर व खेत खसरा नं. 45 तादादी 1.0876 हैक्टेयर कुल तादादी 21. 8023 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जो कि संयुक्त अविभाजित खेत है। बिना विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना वादी के हक व हिस्से की भूमि मे से बेदखल ना करे विक्रय हस्तान्तरण ना करे ना ही विक्रय पत्र निष्पादित करे ना ही रहन अडाण गिरवी रखे ना ही कुआं खुदवाये नाही किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य तथा ना ही वादी का उपरोक्त आने जाने का रास्ता रोके आदि आदि करे ना ही वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी स्वयं पैदा करे या अन्य से करायें व ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर ,चूरू)

...हसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ...ई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो दिलायीजावे।खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। ...ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्रके अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों ...आधार पर वादी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है और वादी का वाद डिक्री किये ...य है।

–: आदेश :–

...दी का वाद व प्रतिवादी सं. 2 का इकबाल जबाव मयअतिरिक्त कथन के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता ह वादगत खेत खसरा नं. 13तादादी 0.7841 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 131 तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 22 तादादी 8.5489 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 274 तादादी 2.8328 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 39 तादादी 4.9700 हैक्टेयर व खेत खसरा नं. 45 तादादी 1.0876 हैक्टेयर कुल तादादी 21.8023 हैक्टेयरवाके रोही ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर रिकार्ड व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन प्रसताव भिजवाये। मुकदमा खर्चा पक्षकारानअपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादी संख्या 5 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो किनिर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक ......13/1/25......को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
बीदासर

प्रारम्भिक डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जब्ता दावाना)

(Civil Procedure code, Appendix "D"-1)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्रीमान अमीलाल यादव, आर. ए.एस.

हेमाराम बनाम पनाराम आदि

दावा, बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरस्ती, चिर निषेधाज्ञा, विभाजन आदि

न.मु.– 93 /20 सन 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–उचयब–उचयरू हाजरी **श्री दीनदयाल प्रजापत** वकील मिनजानिब मुद्दई व **श्री रघुवीर भाम्भू** वकील, व **श्री अरविन्द चौधारी** से, पेरोकार राज मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कीवादी का वाद व प्रतिवादी सं. 2 का इकबाल जबाव मय अतिरिक्त कथन के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है वादगत खेत खसरा नं. 13तादादी 0.7841 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 131 तादादी 3.5789 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 22 तादादी 8.5489 हैक्टेयर, खेत खसरा नं. 274 तादादी 2.8328 हैक्टेयर , खेत खसरा नं. 39 तादादी 4.9700 हैक्टेयर व खेत खसरा नं. 45 तादादी 1.0876 हैक्टेयर कुल तादादी 21.8023 हैक्टेयरवाके रोही ग्राम ज्याक तहसील बीदासर जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर रिकार्ड व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन प्रसताव भिजवाये। मुकदमा खर्चा पक्षकारानअपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादी संख्या 5 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो किनिर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादी संख्या 5 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

चीज ....—........ मुबलिग ....—........ बाबत........—........

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह........—........फीसदी सालाना आज की

तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—........ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 01 2025

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

ओहदा............

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बबत इजराय		
बबतइजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)